श्रीगंगानगर (राजस्थान)

# न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

**अपील प्रकरण सं0 29/15**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामकुमार पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी सिहांगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 11 एल एन पी (ख्यालीवाला) तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. सचिव, ग्राम पंचायत 11 एलएनपी (ख्यालीवाला) तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

**निगरानी विरूद्व नोटिस दिनांक 31–8–15 सरपंच, ग्राम पंचायत 11 एलएनपी**

उपस्थित : श्री विजय रेवाड़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री जसराम टॉक, अधिवक्ता, अप्रार्थी

**आदेश** दिनांकः 18–5–16

प्रस्तुत अपील लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत निगरानी राज0 पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 पेश की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता का पुश्तैनी मकान व प्लाट सिहांगावाली में है और उसी मकान में निगरानीकर्ता अपने परिवार के साथ रह रहा है और गॉव में रह कर खेती का कार्य करता है। निगरानीकर्ता को चक 16 बी एन डब्ल्यू में एक प्लाट जिसका साईज 80 गुणा 200 फीट है, जिसपर निगरानीकर्ता का तीस सालों से कब्जा चला आ रहा है। इस भूखण्ड की चार दिवारी का निर्माण करवा कर कमरोंका निर्माण करवाया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 20–3–12 को एक प्रार्थना पत्र पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला के समक्ष पेश किया गया था और रसीद 60–00 रूपये की दिनांक 20–3–12 को जारी की गई थी। दिनांक 7–10–14 को पट्टा बनाने का प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा भी निगरानीकर्ता के कब्जे की पुष्टि की गई है। दिनांक 31–8–15 को अप्रार्थी सं0 1 ने नोटिस जारी कर निगरानीकर्ता के मकान पर चस्पा कर फोटो खींच कर नोटिस फाड़ दिया। निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत कार्यालय से नोटिस की प्रति प्राप्त की, जिसमें अंकित था कि चक 16 बी एन डब्ल्यू में पंचायत की आबादी भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

पट्टा या रजिस्ट्री पॉच दिवस में पेश करें अन्यथा आदेशात्मक कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 31–8–15 का नोटिस राजनैतिक रंजिश के कारण दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी को निर्देश जारी किया जावे कि निगरानीकर्ता को पट्टा बना कर दिया जावे। नोटिस की कार्यवाही स्थगित की जाकर नोटिस निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता का पुश्तैनी मकान व प्लाट सिहांगावाली में है और उसी मकान में निगरानीकर्ता अपने परिवार के साथ रह रहा है और खेती का कार्य करता है। निगरानीकर्ता को चक 16 बी एन डब्ल्यू में एक प्लाट जिसका साईज 80 गुणा 200 फीट है, जिसपर निगरानीकर्ता का तीस सालों से कब्जा चला आ रहा है। इस भूखण्ड की चार दिवारी का निर्माण करवा कर कमरों का निर्माण करवाया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 20–3–12 को एक प्रार्थना पत्र पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला के समक्ष पेश किया गया था और रसीद 60–00 रूपये की दिनांक 20–3–12 को जारी की गई थी। दिनांक 7–10–14 को पट्टा बनाने का प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा भी निगरानीकर्ता के कब्जे की पुष्टि की गई है। दिनांक 31–8–15 को अप्रार्थी सं0 1 ने नोटिस जारी कर निगरानीकर्ता के मकान पर चस्पा कर फोटो खींच कर नोटिस फाड़ दिया। निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत कार्यालय से नोटिस की प्रति प्राप्त की, जिसमें अंकित था कि चक 16 बी एन डब्ल्यू में पंचायत की आबादी भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं। पट्टा या रजिस्ट्री पॉच दिवस में पेश करें अन्यथा आदेशात्मक कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 31–8–15 का नोटिस राजनैतिक रंजिश के कारण दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि जिस आदेश के विरूद्व निगरानी पेश की गई है, वह कोई आदेश नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया नोटिस है। नोटिस के आधार पर निगरानी संधारण किये जाने योग्य नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में न्यायालय का ध्यान राज0 पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 की ओर दिलाया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी में कोई सार नहीं है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

**" 97 – राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति (1) राज्य सरकार स्वप्रेरण से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर,**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायत राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उसमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वंय का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया, या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी।

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।

हस्तगत निगरानी में पंचायत राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का कोई आदेश नहीं है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को नोटिस जारी किया जाकर चक 16 बीएनडब्ल्यू में पंचायत की आबादी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को बंद करने के लिए दिनांक 30–5–15 को ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का जवाब निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा दिनांक 31.8.15 को पुनः नोटिस जारी कर उक्त भूमि का पट्टा एवं रजिस्ट्री की मॉग पॉच दिवस में की गई थी, जिसका भी निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि नोटिस को आधार बनाकर निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत संधारण योग्य नहीं है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्ता की निगरानी राज0 पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 18–5–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)